

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 02.06.2025

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालयों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तत्काल प्रभाव से घोषित करती है :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रादेशिक सीमा (राजस्व जिला)
1	2	3
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फलौदी	फलौदी
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना	डीडवाना-कुचामन
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, खैरथल	खैरथल-तिजारा
4	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, ब्यावर	ब्यावर
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बालोतरा	बालोतरा
6	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीग	डीग
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोटपूतली	कोटपूतली-बहरोड
8	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सलूमबर	सलूमबर

राज्यपाल के आदेश से,
02.6.25
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी/डीडवाना-कुचामन/खैरथल-तिजारा/ब्यावर/बाडमेर/डीग/कोटपूतली-बहरोड/ सलूमबर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

02.6.25
(अकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव